न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 181/2011

अनवान : —

1. गुरमेल सिंह पुत्र उतम सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी। वादी

बनाम्

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. मघर सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
3. गुरदत सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
4. बूटासिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
5. रघुवीर सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
6. वीरसिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा सिलवाला खुर्द त0 व जिला हनुमागनढ।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
9. उपपंजीयन टिब्बी।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए
उपस्थिति :— श्री एसजोईया अधिवक्ता वादी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 28/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से चक नं0— 2 आर. डबल्य. बी. के प०न०— 213/327 किलोन0— 13 ता 18, 23, 24, 25, प0न0— 214/327 किलान0 11/.101, 20/.025, प0न0 213/328 किला न0 2, 3, 4, 5/.215, 6/.165, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/.139, 16/089, 17, 18, 19, 22 23, 24, 25, प0न0— 213/239 किला न0 2,3, 4/.240, कुल 7.577 है भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा में प्रतिवादीगण ब. हि. व. दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी नकल जमावन्दी सम्वत् 2064 ता 2067 संलग्न वाद—पत्र है । ग्राम सिलवाला कला में अन्य आराजीयात के अलावा खसरा नं0— 145 मिन में 24 बीघा 12 विष्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के दादा स्व० बोगासिंह के हिस्सेदारी की नाम थी जो बसिलसिला चकबन्दी मुरब्बा बन्दी किलाबन्दी के वक्त चक 9 एसएलडबल्य के प0न0— 206/310 किलान0— 12 ता 19, 21 ता 25 प0न0—206/311 किलान0— 1 ता 5, 8, 9, 10, प0न0 — 205/311 किला न0— 5, 6, 7, 14 कुल 24 बीघा 12 विश्वा भूमि पैद हुई जिसमें वादी के पिता स्व० उतमसिंह तथा प्रति— वादीगण के पिता गिरदावर सिंह का ब. हि. व. का हक व हिस्सा था तथा मताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज काश्त करते रहे तथा उनके फौत होने पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी ग्राम सिलवाला कला सम्वत् 2011 ता 2014 व नकल पर्चाखतौनी ग्राम सिलवाला कला चक 9 एस. एल. डबल्य. खवट नं0— 13 व खेवट नं0— 1/5 सलग्न वाद—पत्र है । प्रतिवादीगण का पिता स्व०गिरदावरसिह बहुत ही होशियार व चालाक प्रवृति का व्यक्ति था तथा कृषि भूमि के कागजात संबन्धी समस्त कार्य वही करता था । स्व० गिरदावर सिंह ने वादी के पिता के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते तथा राजस्व अधिकारियों से सांठ—गांठ करते वाद—पत्र की दफा —4 में वर्णित भूमि में से चक 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0 — 206/310 किलान0— 21 प0न0— 205/311 किला 5,6,7, 14, प0न0 206 / 311 किलान० 1 ता 5, 8, 9, 10, कुल — 3. 289 है0 यानि 13 बीघा भूमि गलत व विधि—विरूद्ध तरीके से अपने अकेले के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाकर उपरोक्त भूमि में से प0न0— 205/311

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

किलान0 7/2/.126 की भूमि अपने पुत्र गुरजन्टसिंह तथा प0न0– 205/311 किलान0 7/1/127, 14 की भूमि अपने पुत्र महार सिंह को बैय कर दी जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के पिता का ब. हि. ब. का हक वा हिस्सा था। तथा मुताबिक हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में समस्त भूमि प्रतिवादीगण अकेलो के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिससे वादी के हकक खातेदारी पर विपरीत असर पडता है अतः वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि चकन०– 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0– 206/310 किलान0 –21, प0न0–205/311 किला न0 5, 6, प0न0 206/311 के किला न0 1 ता 5,8,9,10, कुल 2.783 है भूमि मैं से 1.645 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है । वाद–पत्र की दफा– 3 व 5 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण है के पूर्वजो की भूमि थी वादी के पिता स्व० उत्तमसिंह व प्रतिवादीगण के पिता स्व० गिरदावर सिंह के जीवनकाल में ही उपरोक्त वर्णित भाग का अच्छी– मन्दी के लिहाज से बाहमी विभाजन हो गया था मुताबिक बाहमी बटवारा वादी व प्रतिवादीगण के पिता काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा उनकी फौतगी के पश्चात् वादी व प्रतिवादी गण अपनैपूर्वजों के मध्य हुए बाहमी विभाजन के अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उसी के मुताबिक रकम खजाना राज में जमा करवाते चले आ रहे है वादी के पिता स्व० उत्तमसिंह को बाहमी विभाजन में प्राप्त भूमि निम्न प्रकार से है – चक नं० 2 आरडबल्यूबी प0न0 213/327 के किला न0 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, प0न0 213/328 किला न0 2,3,4,5/.215 प0न0 213/328 किला न0 4/.240, कुल – 3.491 है0, चक 9 एसएल डबल्यू प0न0 206/310 किला न0 21 प.न. 205/311 के किला न0 5, 6 प0न0 206/311 के किला न0 1 ता 5, 10/0.126 कुल 2.150है0. मय. गै. मु0 इस प्रकार दोनो चकों की कुल 5.641 है0 मय गै. मु. वादी बाहमी विभाजन में प्राप्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । परन्तु राजस्व रिकार्ड में समस्त भूमि का खाता संयुक्त होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का आपस में रकम–राज व सीव वट का झगडा रहता है अतः वादी मताबिक बाहमी विभाजन अपना खाता विभाजित करवाकर अलग से कायम करवाने तथा मुताबिक हतममक विभाजन रकम–राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है । चकन०– 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0–206/310 किला न0 21 प०न०–205/311 किलान0 5, 6, प0न0– 206/311 किला न0– 1 ता 5, 10/.126, कल– 2.150 है० भूमिमय गैर मुमकिन वादी के पिता के हक व हिस्सा की भूमि थी जो वादी के पिता को बटवारा में प्राप्त हुई मांग है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था आज भी मौका पर विवादित भूमि वादी के कब्जा काश्त में है जिसकी नहरी गिरदावरी मुझ वादी के नाम से है। नहरी शुद्धकार संलग्न वाद–पत्र है परन्तु दफा हाजा वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है उक्त गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से प्रतिवादीगण दफाहाजा में वर्णित भूमि को रहन, बैय, तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा मुझ वादी है कब्जा कारत में दख्खलन्दाजी करने पर आमादा है प्रतिवादीगण यदि अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो मुझ वादी को अपरिमेय शांत होगी तथा आइन्दा मुकदमाबाजी बढेगी अतः वादी स्थाई व्यादेश इस आशय का प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि प्रतिवादीगण दफाहाजा में वर्णित भूमि को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने से ममनू व बाज रहे । वाद – पत्र की दफा–5 में वर्णित भूमि 13 बीघा में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा यानि 6–1/2 बीघा का हक हिस्सा था जिसके बावजूद प्रतिवादीगण ने गलत अंकन का फायदा उठाकर समस्त कृषि भूमि पर बिना किसी कानूनी अधिकार के गलत रूपसे तथ्यों को छुपाकर प्रतिवादी सं0–7 से वितीय ऋण प्राप्त कर लिया जो कि कतई गलत व अवैध है जिसकी अदा करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण सं०– 1 ता 6 का तथा प्रतिवादी सं0–7 विवादित भूमि पर दिये गये ऋण प्रतिवादीगण की अन्य भूमि से प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वाद–पत्र की दफा–5 में मुझ वादी का हक व हिस्सा मानते हुएमुताबिक बाहमी विभाजन व कब्जा करत बाद पत्र की दफा – 6 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर खाता विभाजन करवा देवे तथा मुझ वादा के इक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय न करे तथा म वादी के कब्जा काष्त में दखलन्दाजी न करे तो वह पहले तो टाल–मटोल करते रहे अन्त में कल मुकाम–सिलवाला कला में धमकी दी कि

Scanned with CamScanner

वह सरसों, जौ की फसल कटते ही भूमि पर जबरदस्ती कब्जाकर लेंगे बस यही बिनाय मुखासमत है । अतः घोषित किया जावे कि चकनं0– 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0– 206/310 किला नं0 21, प0न0 205/311 किला न0 5, 6, प0न0– 206 / 311 किल न0 1 ता 5, 8,9,10 कुल 2.783 है0, भूमि में से 1.645 है0 भूमि नाम का वादी खातेदार काश्तकार हो है कि बाद पत्र की दफा –6 के मुताबिक वादी का खाता विभाजन कर अलग से कायम किया जाये तथा मुताबिक तकसीम रकम–राज अलग से कायम की जावें । एवं बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण मा वादी के हक व हिस्सा की भाम चकन0– 9 एस. एल. डबल्य के प0न0– 206/310 किला न0–21 प0न0– 205/311 किला न0– 5, 6, प0न0– 206/ 311 किला न0– 1 ता 5, 10/.126, कुल– 2.150 है0 भूमि को अन्यत्र रहन बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में उपयोग व उपभोग में दादाजी करने से मनन व बाज रहे । घोषणा इस आशय की जारी कि जावें कि प्रतिवादीगण द्वारा मुझ वादी को हक व हिस्सा की भूमि पर लिया गया ऋण अदा करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण का है तथा प्रतिवादीगण सं0–7, प्रतिवादीगण को अन्य भूमि से ऋणभार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल उपरांत प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि जबाबदावा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की ओर से निम्न प्रकार से है वाद–पत्र की वाद–पत्र की चरण सं0–2 में पक्षकारान की वंशावली दर्शायी गई है जो अपूर्ण है, सही नही है । वंशावली में वादी द्वारा बोगासिंह के भाई बख्तावर सिंह को एंव वादी गुरमेल सिंह के लड़के बलराज, सोहनसिह, मोहनसिह को नहीं दर्शाया गया है । जबकि ये रिकार्डिड खातेदार है । इसलिए वाद– वादी पक्षकारों के असंयोजन से ग्रस्त है व उपरोक्त बाद में वादी के लड़के बलराजसिह, सोहनसिह व मोहन भी सिंह को नहीं दर्शाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार है । वाद–पत्र की चरणसं0– 3 रिकार्ड से सबंन्धित है । वाद–पत्र की चरणसं0–4 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है । वादी द्वारा यह कथन कि ग्राम सिलवाला में अन्य आराजीयात के अलावा खसरा नं0– 145 मिन में 24 बीघा 12 बिसवा कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के दादा स्व0 बोगा सिंह के हिस्सेदारी की भूमि थी, कतई गलत व निराधार है । पर्चा खतौनी ग्राम सिलवाला कंला खेवट नं0–13 में खसरा नं0– 145 में 12 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज थी इससे पूर्व उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम से ही थी एंव प्रतिवादीगण के पिता के फौत होने के बाद उपरोक्त कृर्षि भूमि हम प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा में आई एव प्रतिवादीगण ही उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है । पर्चा खतौनी ग्राम सिलवांला कला के खेवट नं0– 1/5 में 12 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि वादी के पिता के नाम से थी जो वादी के पिताने, अपने जी काकाल में अपने हक वा हिस्सा की कृषि भूमि अपने तीनों पौत्रों अर्थात् वादी के पुत्रों का राजसिंह, सोहन सिंह, मोहन सिंह के पि0 गुरमेल सिंह को वरीयत कर दी । मुताबिक वसीयत उक्त कृषि भूमि वादी के पिता उत्तम सिंह के मरने के बाद वादी के तीनों पुत्रों के नाम दर्ज हुई इसलिए वादी हम प्रतिवादीगण को नाहक गलत मुकदमा बाजी में उलझाने के आशय से, व तंग परेशान करने के आशय से गलत मुकदमा माननीय न्यायालय में पेश किया है व वादी स्थगन आदेश की आड़ में हम प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि जो चकनं0– 9 एस. एल. डब्ल्यू. प0न0– 206/310 के किलान0–21, प0न0– 205/311 किला न0– 5, 6, प0न0– 206 /311 किलान0– 1 ता 5,8,9,10, है पर वादी कब्जा करने की फिराक में है जबकि उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है । अगर वादी स्थगन आदेश की आड़ में उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज हो गया तो हम प्रतिवादीगण को नाहक अन्य मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा जिससे हम प्रतिवादीगण को अर्णीय क्षति होगी । वाद–पत्र की चरणसं0–5 कतई गलत, मिथ्या व मनघटत है, स्वीकार नही, अस्वीकार है । वादी ने प्रतिवादीगण के पिता पर गलत व मिथ्या आरोप लगाये है प्रतिवादीगण के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ कोई साठ–गाँठ नही की एंव ना ही विवादित कृषि भूमि गलत व विधि विरुद्ध तरीके से अपने नाम दर्ज करवायी बल्कि विवादित कृषि भूमि चक नं0 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0 206/310 किला न0 21, प0न0 205/311 के किला न0 5,6,7,14, प0न0 206/311, किला न0 1 ता 5, 8,9,10, कुल 3.289 है0 प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी भूमि थी । वादी द्वारा यह कथन कि चकन0– 9 एस. एल. डब्ल्यू. के प0न0

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

205/311 के किलान0– 7/2/.126, अपने पुत्र गुरजन्टसिंह व प0न0– 205/311 किला न0 7/1/.127, 14 कृषि भूमि अपने पुत्र मघर सिंह को बैय कर दी जबकि उपरोक्त कृषि भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के पिता का बराबर हक वा हिस्सा था, बातई गलत व निराधार है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता की अकेले की खातेदारी भूमि थी । प्रतिवादीगण के पिता ने चक्क न0– 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0– 205/311 किला न0 7/2/.126, कृषि भूमि अपने पुत्र अर्थात प्रतिवादी सं0– 1 को नही बेची थी बल्कि उपरोक्त कृषि भूमि सुखदेव सिंह, वीर सिंह पि0– गुरदयालसिंह को बेची थी एव सुखदेवसिह एव वीरसिह से उक्त 0.126 है0 कृ षि भूमि प्रतिवादी स0 1 गुरजन्टसिह ने खरीदी थी एवम् इसी चक के प0न0– 205/311 किलान0 7/1/.127, 14 की कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता ने प्रतिवादी सं0–2 मघर सिंह को नही बेची थी बल्कि सुखदेव सिंह, वीर सिह पि– गुरदयाल सिंह जाति– जटसिख निवासी– सिलवालाखुर्द को बेची थी जिनसे कृषि भूमि प्रतिवादी सं0–2 ने उपरोक्त कृषि भूमि खरीद की थी। इसलिए उपरोक्त दो बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 की जरिये रजिस्टेड खरीदशुदा है जिसे निरस्त करने की अधिकारीता अर्थात बेयनामा निरस्त करने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को नही है। वादी उपरोक्त विवादित कृषि भूमि में जान बुझकर हस्तक्षेप करना चाहता है । वादी चक नं0 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0 206/310 किला न0 21 व प0न0 205 / 311 किलान0– 5, 6, प0न0– 206 / 311 किला न0 1 ता, 8, 9,10 कुल 2.783 है 0 कृषि भूमि मे से 1. 645 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार नही है व न ही खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है । वाद–पत्र की दफा 6 कतई गलत व निराधार है, स्वीकार नही। वादी द्वारा जानबुझकर गलत तथ्य अंकित किये गये है । वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई बटवारा नही किया हुआ है। वादी द्वारा दर्शाया गया बाहमी विभाजन कृषि भूमि गलत पेश किया गया है । वादी हम प्रतिवादीगण के नाम व कब्जा की कृ षि भूमि का खाता विभाजन करवाकर कब्जा प्राप्त करने की फिराक में है । वाद–पत्र की चरण सं0– 7 कतई गलत व निराधार है, स्वीकार नही, अस्वीकार है । विवादित कृषि भूमि जो वादी ने पैरा सं0–7 में दर्शायी है हम प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण के पिता के नाम से खातैदारी कृषि भूमि थी । हम प्रतिवादीगण के पिता के फौत होने के बाद उपरोक्त कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई एव उपरोक्त कृषि भूमि मौका पर हम प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जा काश्त एवम् आधिपत्य मे है । वादी स्थगन आदेश की आड़ में उपरोक्त विवादित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है । नहरी गिरदावरी वादी के नाम नही है न ही कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेश किया हुआ है जबकि सिचाई विभाग की रसीदात हम प्रतिवादीगण के पिता के नाम से चली आ रही है एवम उपरोक्त कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण ही काश्त कर रहे कि वाद – पत्र की चरण सं0 8 गतई गलत व निराधार है। वादी का यह कथन कि प्रतिवादी गलत अंकन का फायदा उठाकर समस्त कृषि भूमि पर बिना किसी कानूनी अधिकार के गलत रूप से तथ्यों को छुपाकर प्रतिवादीसं0–7 से वितीय ऋण प्राप्त कर लिया जो कि कतई गलत व अवैध है । वादी द्वारा यह कथन कतई गलत दर्ज किया गया है । चूकि विवादित कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिस पर प्रतिवादोगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के सुधार एंव खाद–बीज के लिए फरालताना ऋण लिया हुआ है वाद–पत्र की चरणसं0– 9 कतई गलत व निराधार है। वादी हम प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार नही है व न ही हम प्रतिवादीगण की कृषि भूमि का वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है। विवादित कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त व आधिपत्य में है । वादी को कोई वादकारण हासिल नही है । एकमात्र दावा का ढाँचा तैयार करने के लिए व दावा को कानूनी रंग देने के लिए वाद पेश किया गया है । अतः जबावदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद– वादी मय खर्चा खारीज फरमाया जावे ।

प्रतिवादी सं0 7 शाखा प्रबन्धक एस. बी. बी. जे. वर्तमान में एस.बी.आई. शाखा सिलवाला खुर्द की ओर से निम्न प्रकार से जवाब प्रस्तुत किया कि दफा 1 दावा से इन्कार नहीं है। दफा 2 दावा ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है दफा 3 दावा भूमि के वर्जन के सम्बंध में है ।क दफा 4 दावा ज्ञान के अभाव में अस्वीकार दफा 5 दावा ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है । दफा दावा 6 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है । दफा दावा 7 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है । दफा दावा 8 दावा गलत लिखी है भूमि प्रतिवादीगण के नाम से है तथा भूमि पर कब्जा भी प्रतिवादीगण का है क्योकि बैंक ऋण खातेदार को मौके पर आधिपत्य के बारे में भौतिक

Scanned with CamScanner

सत्यापन व अड़ौस – पड़ौस के काश्तकारो से कब्जा होने के तथ्य की पूर्ण जांच करने के बाद दिया गया है इसलिए समस्त तथ्य मनघढन्त होने से अस्वीकार है। बैंक प्रतिवादी ने बैंकिंग नियम वा प्रक्रिया आधार पर पूर्ण जांच व सत्यापन करने के बाद प्रतिवादीगण को लोन दिया है विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही ऋण भूमि पर दिया गया है। प्रतिवादी बैंक का भूमि विवादित पर प्रतिवादीगण को बैंक ऋण के.सी.सी. नियमानुसार दिया गया है अतः बैंक ऋण अदायगी ऋण का पूरा चुकता करवाने के बाद ही वादी अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी है। कृषि भूमि पर बैंक के ऋण का अधिभार प्रथम अधिकार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भूमि पर बैंक ऋण का भार सर्जित है अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब तक बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी कर भार मुक्त प्रमाण पत्र बैंक प्रतिवादी से प्राप्त नही किया जाए तब तक दावा का निर्णय नही किया जावे व दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

हस्तगत वाद एवं प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर पत्रावली में तनकीयात कायम की गई–

1. आया विवादित आराजी खसरा न0 145 मिन में 24 बीघा 12 बिश्वा भूमि स्व0 बोगासिंह के हिस्सेदारी की भूमि में शामिल आराजी थी। जिसमें वादी के पिता स्व0 उतमसिंह का 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा था ?

वादी

2. आया वादी चक 9 एसएलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के किला न0 21 प0न0 205/311 किला न0 5,6, प0न0 206/311 किला न0 1 ता 5, 8, 9, 10 कुल 2.783है0 आराजी में से 1.645है0 आराजी का खातेदार काश्तकार है ?

वादी

3. आया वादी वाद पत्र की दफा 6 के मुताबिक खाता विभाजन करवाकर अलग से कायम करवाने तथा मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है ?

वादी

4. आया वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आषय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकार है कि प्रतिवादीगण चक 9 एसएलडब्ल्यू के प0न0 206/310 किला न0 21 प0न0 205/311 किला न0 5, 6 प0न0 206/311 किला न0 1 ता 5, 10/0.126 कुल 2.150है0 आराजी में से वादी के हिस्सा की आराजी को रहन बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा वादी के आधिपत्य व धारण में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से ममनू व बाज रहे ?

वादी

5. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हिस्सा के आराजी पर लिये गये ऋण को अदा करने का उतरदायित्व प्रतिवादीगण का है तथा प्रतिवादी सं0 7, प्रतिवादीगण की अन्य आराजी से ऋण प्राप्त करने का अधिकार व दावेदार है ?

वादी

6. आया वाद पक्षकारों के अंसोजन से ग्रसित होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है?

प्रतिवादीगण

7. आया वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नहीं है ?

प्रतिवादीगण

8. आया वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है तथा मियाद बाहर होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है ?

प्रतिवादीगण

9. अनुतोष

वाद में तनकी कायम उपरांत वाद एवं तनकी के समर्थन में साक्ष्य वादी में वादी गुरमेल सिंह पुत्र उतमसिंह ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी ग्राम सिलवाला संवत् 2011 ता 14 खेवट सं. 13 प्रदर्श 1, पर्चा खतौनी चक 9 एसएलडब्ल्यू ग्राम सिलवाला कंला जिसमें ए से बी बोगा सिंह सी से डी गिरदावरसिंह का नाम इन्द्राज है, नकल प्रदर्श 2 इंतकाल 46 चक 9 एसएलडब्ल्यू प्रदर्श 3, नकल पर्चा खतौनी 1/5 ग्राम सिलवाला कंला प्रदर्श 4 नकल, जमाबंदी चक 9 एसएलडब्लयू खाता सं0 23/30 संवत 2065–2068 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी चक 9 एसएलडब्ल्यू खाता सं0 21/27 संवत् 2065–2068 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी चक 9 एसएलडब्ल्यू खाता सं0 69/73 प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी चक 2 आरडब्ल्यूबी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

खाता सं0 19/14 प्रदर्ष 8 नकल शुद्धकार खसरा सिंचाई विभाग प्रदर्ष 9 ता 34 प्रदर्षित करवाये। नकल जमबांदी चक 9 एसएलडब्ल्यू संवत 2065–68 खाता सं0 54/65 प्रदर्ष 35 नकल जमाबंदी चक 9 एसएलडब्ल्यू संवत 2069–2072 खाता सं0 47/54 प्रदर्ष 36 नकल निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्र0 सं0 16/2011 दिनांक 27.02.2017 प्रदर्ष 37, निर्णय अपील सं0 117/2017 बआनवानी गुरजंट सिंह बनाम गुरमेलसिंह निर्णय दिनांक 27.03.2018 प्रदर्ष 38 प्रदर्षित करवाये जाकर जिरह वकील प्रतिवादीगण की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी मघरसिंह द्वारा शपथ पत्र मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामा असल प्रदर्ष ए–1, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्ष ए–1ए है। जमाबंदी संवत् 2022–2025 प्रदर्ष ए–2 है। जमाबंदी चक 9 एसएलडब्ल्यू खाता सं0 80 प्रदर्ष ए–3 है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नं0– 145 मिन में 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के दादा स्व० बोगासिंह के हिस्सेदारी की नाम थी जो बरिलसिला चकबन्दी मुरब्बा बन्दी किलाबन्दी के वक्त चक 9 एसएलडबल्य के प0न0– 206/310 किलान0– 12 ता 19, 21 ता 25 प0न0–206/311 किलान0– 1 ता 5, 8, 9, 10, प0न0– 205/311 किला न0– 5, 6, 7, 14 कुल 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि पैद हुई जिसमें वादी के पिता स्व० उतमसिंह तथा प्रति– वादीगण के पिता गिरदावर सिंह का व. हि. व. का हक व हिस्सा था तथा मुताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज काश्त करते रहे तथा उनके फौत होने पर वादी व प्रतिवादीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। स्व0 उतम सिंह के नाम दर्ज भूमि राजस्व रिकोर्ड में आराजीराज दर्ज हो गई एवं बाद में बोगासिंह के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। परन्तु प्रतिवादीगण के पिता ने उक्त वाद भूमि को राजस्व रिकोर्ड में अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। पत्रावली में सलंग्न पर्चा खतौनी में 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त वाद भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद फैसल हुई है जिसकी चित्रप्रति भी पत्रावली में सलंग्न है। प्रदर्ष 9 ता 34 वादी के पक्ष में नहरी गिरदावरी है जिससे यह साबित है कि उक्त वाद भूमि पर वादी लगातार काविज रहते हुए काष्त करता आ रहा है। इसलिए चक 2 बीआरडब्ल्यू व चक 9 एसएलडब्ल्यू में दावा की मद सं0 6 के मुताबिक खाता–तकसीम व घोषणा प्राप्त करने का वादी कानूनी अधिकारी है। अधिवक्ता वादी ने वाद–वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वादी के पिता उतम सिंह की गैरदाखिलकार भूमि थी जो वाद मे आराजी राज दर्ज होने के बाद बोगासिंह के खातेदारी होने के बाद प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। यदि वादी को ऐतराज था तो लगभग 28 साल तक वादी ने अपने हकों की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत क्यों नहीं किया। उक्त विवादित भूमि बोगासिंह को 17.06.1972 को दुबारा अलॉट हुई है वादी ने न तो अलॉटमैंट के विरूद्व कोई कार्यवाही की और न ही आराजी राज दर्ज होने के विरूद्व कोई कार्यवाही की। विवादित आराजी के प्रतिवादीगण रिकोर्डेड खातेदार है जिसका नियमित उपयोग–उपभोग प्रतिवादीगण द्वारा दिया किया जा रहा है। वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है अतः वाद–वादी खारीज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर हम हस्तगत प्रकरण में कायम तनकी के आधार पर तनकीवार निर्णय किया जाना एक आवष्यक और महत्वपूर्ण घटक समझते है। अतः हस्तगत प्रकरण मे तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है:–

<u>तनकी सं0 1</u> :– उपरोक्त वर्णित तनकी बिन्दु के आधार पर तनकी सं0 1 को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादी द्वारा हस्तगत प्रकण में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्ष 1 में विवादित आराजी 24 बिघा 12 बिस्वा बोग्गासिंह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त मिन 145 की कुल 24 बिघा 12 बिस्वा से प्रदर्ष 2 एवं 4 से यह जाहिर है कि चक 9 एसएसलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के मु0न0 15 के किला न0 12 ता 19, 21, ता 25 एवं 206/311 के

Scanned with CamScanner

किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 प0न0 205/311 के किला न0 5, 6, 7, 14 पेमुद हुई। **प्रदर्ष 4** मे यह स्पष्ट उल्लेखित है कि उपरोक्त आराजी में से चक 9 एसएसलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के मु0न0 15 के किला न0 12 ता 19, 22 ता 25 उतम सिंह पुत्र बोग्गासिंह एवं **प्रदर्ष 2 में सी से डी** के अनुसार चक 9 एसएलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के किला न0 21, 206/311 के किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 प0न0 205/311 के किला न0 5, 6, 7, 14 गिरदावरसिंह पुत्र बोग्गासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड हुई है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन मे प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि राजस्व रिकोर्ड में उपरोक्तानुसार अंकन नहीं हुआ हो। इस प्रकार प्रदर्ष 1, 2 व 4 से तनकी सं 01 विरूद्व प्रतिवादी एवं वहक वादी बखूबी साबित होने के कारण तनकी सं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सं0 2 :–उपरोक्तानुसार अंकित तनकी बिन्दु के आधार पर तनकी सं0 2 को साबित करने का भार भी वादी पर था। **प्रदर्ष 4** के अनुसार मिन 145 की कुल 24 बीघा 12 बिस्वा में से उतम सिंह वल्द बोग्गासिंह के नाम चक 9 एसएसलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के मु0न0 15 के किला न0 12 ता 19, 22 ता 25 की भूमि राजस्व रिकोर्ड दर्ज थी। उक्त भूमि **प्रदर्ष 3** से राजस्व रिकोर्ड में बोग्गासिंह के नाम पुनः आराजी राज से खातेदारी दर्ज होना जाहिर है। तथा उपरोक्त वर्णित आराजी **प्रदर्ष 5 नामान्तरण दस्तावेज** में उतमसिंह पि0 बोग्गासिंह एवं गिरदावरसिंह पि0 बोग्गासिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होना जाहिर है। जबकि **प्रदर्ष 2 में सी से डी** गिरदावरसिंह के नाम दर्ज चक 9 एसएलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के किला न0 5, 6, 7, 14 21, 206/311 के किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 प0न0 205/311 के किला न0 5, 6, 7, 14 गिरदावरसिंह पुत्र बोग्गासिंह अकेले के ही नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई है। उपरोक्त आराजी में किला न0 7, 14 की कुल 0.506है0 भूमि वर्तमान में जरिये बैयनामा से गिरदावरसिह के पुत्र मघरसिह व गुरजन्ट सिंह के नाम राजस्व रिकोर्ड में है जो **प्रदर्ष 6 व 7** से जाहिर है। प्रदर्ष 3 से उतमसिंह के नाम भूमि जो बोग्गासिंह के नाम पुनः आराजी राज से खातेदारी दर्ज होने का राजस्व रिकोर्ड में जो अंकन है व कानूनन सही होना प्रतित नहीं होता है व न ही उक्त अंकन के संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है जिससे यह साबित हो कि उक्त अंकन पुनः बोग्गासिंह के नाम सही दर्ज हुआ था। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी के दादा बोग्गासिंह के नाम मिन 145 की कुल 24 बिघा 12 बिस्सा में वादी के पिता उतमसिंह व प्रतिवादी के पिता गिरदावरसिंह का बहिस्सा बराबर हिस्सा दर्ज होना था। जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों से 1.645है0 भूमि गिरदारसिंह व उसके वारिसानों के नाम राजस्व रिकोर्ड में अधिक दर्ज होना जाहिर है। प्रतिवादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी साबित नहीं किया है कि वादी व प्रतिवादीगण के दादा बोग्गासिंह के नाम विवादित आराजी से भिन्न अन्य आराजीयात् हो जो वादी के नाम घरेलु बंटवारा से उक्त विवादित आराजी के बदले अन्यत्र चकों में दर्ज हुई हो जिससे उक्त विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकोर्ड में अधिक दर्ज हुई थी। इस प्रकार शेष विवादित आराजी चक 9 एसएलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के किला न0 21, 206/311 के किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 प0न0 205/311 के किला न0 5, 6, की कुल 2.783है0 में से 1.645है0 भूमि वादी के हिस्सा में आना उचित जाहिर होता है। इस प्रकार तनकी सं0 2 विरूद्व प्रतिवादीगण व वादी के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण तनकी सं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सं0 3 :– उपरोक्त वर्णित बिन्दु के आधार पर तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादी पर था। वादी ने दावा की दफा 6 में वर्णित आराजी चक नं० 2 आरडबल्यूबी प0न0 213/327 के किला न0 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, प0न0 213/328 किला न0 2,3,4,5/.215 प0न0 213/328 किला न0 4/.240, कुल – 3.491 है0, चक 9 एसएल डबल्यू प0न0 206/310 किला न0 21 प.न. 205/311 के किला न0 5, 6 प0न0 206/311 के किला न0 1 ता 5, 10/0.126 कुल 2.150है0. मय. गै. मु0 में घोषणा के साथ--साथ मुताबिक काष्त खाता व लगान अलग का अनुतोष चाहा है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन के बिन्दु का अपने जवाब दावा, साक्ष्य–जिरह एवं तनकीयात में कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है। चक 2 बीआरडब्ल्यू की भूमि के संबंध में अधिवक्ता वादी की प्रतिवादी के साथ

Scanned with CamScanner

जिसमें प्रतिवादी ने भी यह स्वीकार किया है कि गिरदावरसिंह सिंह व उतमसिंह के 50 वर्षो से बंटवारा के बाद ही हम उपरोक्त भूमि काष्त करते चले आ रहे है। चक 9 एसएलडब्लयू के उक्त किलाजात **प्रदर्ष 9 ता 34** से वादी द्वारा काष्त किया जाना जाहिर है। अतः वादी के काष्त एवं दावा में वर्णित अच्छी मंदी के हिसाब से मुताबिक अनुतोष वादी घोषणा के साथ–साथ खाता तकसीम का कानूनी अधिकारी है। अतः तनकी सं0 3 विरूद्व प्रतिवादी व बहक वादी साबित होने के कारण तनकी सं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सं0 4 :– उपरोक्त वर्णित तनकी सं0 4 को सिद्व करने का भार वादी पर था। हस्तगत प्रकरण मे निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बअनवानी गुरमेलसिंह बनाम गुरजन्तसिंह आदि प्र0 सं0 16/2011 दिनांक 27.02.2017 प्रदर्ष 37 से प्रतिवादीगण को रहन, बैय व मुन्तिकल न करने व वादी के कब्जा काष्त में दखल नही देने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा ताफैसला वाद कन्फर्म की गई है। तनकी सं0 4 प्रदर्ष 37 द्वारा वादी के पक्ष में व विरूद्व प्रतिवादी साबित होने के कारण तनकी सं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी सं0 5 :– उपरोक्त वर्णित तनकी सं0 5 को सिद्व करने का भार भी वादी पर था। इस संबंध में प्रतिवादी सं0 7 ने जवाब प्रस्तुत किया है। चूंकि बैंक द्वारा ऋण बैंकिग प्रकिया की नियमानुसार पालना की जाकर ही तात्कालीन समय के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज काष्तकारन के नाम ही दिया गया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी में तनकी सं0 2 के आधार पर प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादी भी खातेदार काष्तकार होना जाहिर है। अतः प्रतिवादीगण जो कि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में खातेदार है उनके द्वारा आवष्यक रूप से बैंक ऋण अदा किया जाना न्यायोचित है। ताकि वादी के घोषित हिस्सा की पालना राजस्व रिकोर्ड में हो सकें। इस प्रकार तनकी सं0 5 आंषिक रूप से वादी के पक्ष में व विरूद्व प्रतिवादीगण साबित है।

तनकी सं0 6 :– उपरोक्त वर्णित तनकी बिन्दु सं0 6 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा की मद सं0 2 में यह कथन किया है कि वंषावली मे वादी द्वारा बोग्गासिंह के भाई बख्तावरसिंह एवं वादी गुरमेल के पुत्रों बलराज, सोहनसिंह, मोहनसिंह को पक्षकार नहीं बनाया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी बोग्गासिंह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी। जिसमें बोग्गासिंह के भाई का कोई अनुतोष निहित नहीं था। व ना ही बोग्गासिंह के भाई अथवा उनके वारिसान ने उक्त पत्रावली में कोई अनुतोष की मांग की है। एवं हस्तगत विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में वादी के भाई गुरमेलसिंह के पुत्र रिकोर्ड खातेदार नहीं है। उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीगण ही रिकोर्डेड खातेदार है जो प्रदर्ष 5 से जाहिर है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य अनुतोष वादी का ही होना जाहिर है। इस प्रकार हस्तगत दावा पक्षकारान के असंयोजन से ग्रसित होना नही पाया जाता है। अतः तनकी सं0 6 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण साबित होने के कारण तनकी सं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सं0 7 :– उपरोक्त वर्णित तनकी सं0 7 को सिद्व करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। हस्तगत प्रकरण में वादी ने वक 9 एसएलडब्ल्यू के प0न0 206/310 के किला न0 21, 206/311 के किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 प0न0 205/311 के किला न0 5, 6, की कुल 2.783है0 आराजी में अपने हकों की घोषणा के साथ–साथ चक 2 बीआरडब्लयू एवं चक 9 एसएलडब्ल्यू की भूमि में खाता तकसीम का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः बिन्दु सं0 7 बहक वादी व विरूद्व प्रतिवादीगण साबित है।

तनकी सं0 8 :– उपरोक्त वर्णित तनकी सं0 8 को सिद्व करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। तनकी सं0 7 के आधार पर एवं वाद घोषणात्मक व खाता विभाजन का होने के कारण तनकी सं0 8 बहक वादी व विरूद्व प्रतिवादीगण साबित होने के कारण तनकी सं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर एवं तनकीयात वादी के पक्ष में साबित होने के कारण विवादित आराजी चक नं0– 2 आर. डबल्य. बी. के प0न0– 213/327 किलोन0– 13 ता 18, 23, 24, 25, प0न0– 214/327 किलान0 11/.101, 20/.025, प0न0 213/328 किला न0 2, 3, 4, 5/.215, 6/.165, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/.139, 16/089, 17, 18, 19, 22 23, 24, 25, प0न0– 213/239 किला न0 2,3, 4/.240, कुल 7.577 है एवं चक 9

Scanned with CamScanner

एस. एल. डबल्यू. के प0न0– 206/310 किलान0 –21, प0न0–205/311 किला न0 5, 6, प0न0 206/311 के किला न0 1 ता 5,8,9,10, कुल 2.783 है कृषि भूमि में वादी के हिस्सा की घोषणा कर निम्नानुसार खाता विभाजन करते हुए प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाता है –

वादी गुरमेल :– – (क) चक नं० 2 आरडबल्यूवी प0न0 213/327 के किला न0 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, प0न0 213/328 किला न0 2,3,4,5/.215 प0न0 213/328 किला न0 4/.240, कुल–3.491 है0 मय गै0मु0।

(ख) चक 9 एसएल डबल्यू प0न0 206/310 किला न0 21 प.न. 205/311 के किला न0 5, 6 प0न0 206/311 के किला न0 1 ता 5, 10/0.126 कुल 2.150है0. मय. गै. मु0 ।

इसी अनुसार वादी का खाता व लगान अलग करते हुए प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावें। प्रतिवादीगण विवादित आराजी चक 9 एसएलडब्ल्यू पर बैक ऋण भुगतान की कार्यवाही आवष्यक रूप से करेंगे। इसी अनुसार तहसीलदार टिब्बी को आदेषित किया जाता है कि उपरोक्त आराजी रहन मुक्त होने व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेष नहीं होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं R.A.S
पदेन सहायक कलक्टर (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 181/2011
अनवान : –
1. गुरमेल सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
वादी

बनाम्

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. मघर सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
3. गुरदत सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
4. बूटासिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
5. रघुवीर सिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
6. वीरसिंह पुत्र गिरदावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एडं जयपुर शाखा सिलवाला खुर्द त0 व जिला हनुमागनढ।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
9. उपपंजीयन टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी अब्दुल सतार जोईया व सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं0– 2 आर. डबल्य. बी. के प0न0– 213/327 किलोन0– 13 ता 18, 23, 24, 25, प0न0– 214/327 किलान0 11/.101, 20/.025, प0न0 213/328 किला न0 2, 3, 4, 5/.215, 6/.165, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/.139, 16/089, 17, 18, 19, 22 23, 24, 25, प0न0– 213/239 किला न0 2,3, 4/.240, कुल 7.577 है एवं चक 9 एस. एल. डबल्यू. के प0न0– 206/310 किलान0 –21, प0न0–205/311 किला न0 5, 6, प0न0 206/311 के किला न0 1 ता 5,8,9,10, कुल 2.783 है कृषि भूमि में वादी के हिस्सा की घोषणा कर निम्नानुसार खाता विभाजन करते हुए प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाता है –

वादी गुरमेल :– – (क) चक नं० 2 आरडबल्यूबी प0न0 213/327 के किला न0 13. 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, प0न0 213/328 किला न0 2,3,4,5/.215 प0न0 213/328 किला न0 4/.240, कुल–3.491 है0 मय गै0मु0।

(ख) चक 9 एसएल डबल्यू प0न0 206/310 किला न0 21 प.न. 205/311 के किला न0 5, 6 प0न0 206/311 के किला न0 1 ता 5, 10/0.126 कुल 2.150है0. मय. गै. मु0 ।

इसी अनुसार वादी का खाता व लगान अलग करते हुए प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावें। प्रतिवादीगण विवादित आराजी चक 9 एसएलडब्ल्यू पर बैक ऋण भुगतान की कार्यवाही आवष्यक रूप से करेंगे। इसी अनुसार तहसीलदार टिब्बी को आदेषित किया जाता है कि उपरोक्त आराजी रहन मुक्त होने व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेष नहीं होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 28/01/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner